"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 फरवरी 2012—फाल्गुन 3, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2012

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-02/2012/वाक/पांच (04).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

### संशोधन

उक्त नियमों एवं प्ररूपों में जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "वाणिज्यिक कर नियम", "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम" या "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995" आये हो, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. एस. मिश्र**, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10-02/2012/वाक/पांच (04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2012/वाक/पांच (04), दिनांक 22-02-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. एस. मिश्र,** प्रमुख सचिव.

Raipur, the 22nd February 2012

NOTIFICATION

No. F 10-02/2012/CT/V(04).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, namely :—

AMENDMENT

In said rules and forms, for the words and figure wherever they occur "Vanijyik Kar Niyam", "Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam" and "Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995" the words and figure "Chhattisgarh Value Added Tax Rule, 2006" shall be substituted.

2. This amendment shall be effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.